रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2010/चैत्र 10, 1932
No. 600] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2010/CHAITRA 10, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का. आ. 725(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17 सितम्बर, 1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था ।

2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार सितम्बर, 2009 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगे और समीक्षा की गई है । इन दोनों जिलों में विभिन्न भूमिगत संगठन, जबरन धन वसूली, व्यपहरण और अपहरण में निरंतर संलिप्त हैं । उग्रवादी संगठनों के बीच जबर्दस्त दुश्मनी से इन दोनों जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ रही है । यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) के काडर कथित रूप से इन दोनों जिलों का प्रयोग म्यांमार में अपने शिविरों तक पारगमन हेतु कर रहे हैं । अन्य क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की समय-समय पर होने वाली गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भी देखी गई हैं ।

4. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अप्रैल, 2010 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है ।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई. II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

S.O. 725(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17th September, 1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17th September, 1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2009 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 31st March, 2010.

3. The law and order situation in these two districts has been reviewed further. Various Underground outfits continue to engage in extortion, kidnapping and abduction in these two districts. The intense rivalry between militant outfits also continues to vitiate the law and order situation in these two districts. Cadres of United Liberation Front of Asom (ULFA) reportedly use these districts for transit to their camps in Myanmar. Occasional movement of militants outfits operating in other areas have also been noticed in Changlang District of Arunachal Pradesh.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2010, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE.II]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.